भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4353** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

अत्याधुनिक पोत निर्माण यार्डों की स्थापना

†4353. श्री टी. आर. बालू :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से नए अत्याधुनिक पोत निर्माण और पोत मरम्मत यार्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो शिपयार्डों की संख्या और स्थलों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भारत की वर्तमान पोत - निर्माण क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले दशक के दौरान देश में पोत-निर्माण और पोत मरम्मत सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु क्षमता और योग्यता बढ़ाने के लिए किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में भारत की मौजूदा पोत निर्माण क्षमता का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। देश में पोत निर्माण और पोत मरम्मत सुविधाओं के आधुनिकीकरण में क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए है। जो नामत:

(i) आधुनिक प्रौद्योगिकियों और मशीनरी के संबंध में स्वदेशी पोत निर्माण को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने निम्नलिखित को शामिल करने हेतु दिनांक 23.08.2023 को पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है :-

क) विशेषीकृत जलयानों के रूप में विंड टरबाईन संस्थापित जलयान, विंड फार्म सर्विस एंड मेनटेनेंस जलयान तथा स्वचलित ड्रेजर जो गैर-विशेषीकृत जलयानों के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अधिकतम वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं।

ख) उन जलयानों के लिए सीधे 30% की वित्तीय सहायता दी जाती है जहां वे मैथेनॉल/ अमोनिया/ हाइड्रोजन ईंधन सेल्स जैसे हरित ईंधनों के साधन द्वारा मुख्य प्रणोदन प्राप्त किए जाते है।

ग) पूर्णत: विद्युत या हाइब्रिड प्रणोदन से सुसज्जित जलयानों के लिए सीधे 20% की वित्तीय सहायता।

(ii) भारतीय शिपयार्डों में 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण संबंधी अनुबंधों हेतु एसबीएफएपी के तहत 4,000 करोड़ रु. की निधियां आवंटित की गई है और अब तक 385.16 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है।

(iii) भारत सरकार ने दिनांक 13 अप्रैल, 2016 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 112 के तहत 'शिपयार्डों' को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतित सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया है।

(iv) घरेलू पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 19.05.2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सरकारी विभागों या एजेंसियों द्वारा जारी सरकारी उद्देश्यों या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी प्रकार के जलयानों के अधिग्रहण के लिए जारी किए गए नए पोत निर्माण आदेशों के मूल्यांकन और निविदाएं प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जब भी किसी जलयान का अधिग्रहण निविदा के माध्यम से किया जाता है, तो योग्य भारतीय शिपयार्ड के पास "प्रथम अस्वीकार करने का अधिकार" होगा, ताकि वे विदेशी शिपयार्ड द्वारा पेश किए गए मूल्यांकित न्यूनतम मूल्य के समकक्ष कर सकें, जिसका उद्देश्य भारतीय शिपयार्ड में पोत निर्माण गतिविधियों को बढ़ाना है।

इसके अलावा, पोत निर्माण और पोत-स्वामित्व से संबंधित सरकारी संगठनों को भारत सरकार के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के अनुसार स्थानीय सामग्री सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। इस आदेश के अनुसार, 200 करोड़ रुपये से कम के पोतों की खरीद भारतीय शिपयार्डों से की जानी अपेक्षित है।

(v) सरकार ने नवंबर, 2021 में भारतीय शिपयार्डों में निर्माण किए जाने वाले टगों की खरीद हेतु महापत्तनों द्वारा उपयोग के लिए पांच प्रकार के मानक टग डिजाइन किए हैं।

(vi) घरेलू पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 20.09.2023 को जलयान के किसी भी प्रकार के चार्टर में अनुपालन किया जाने के लिए पहले अस्वीकार करने का अधिकार (आरओएफआर) का अनुक्रम संशोधित किया है जिसका निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आरओएफआर का संशोधित अनुक्रम निम्नानुसार है:

(1) भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व।

(2) भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व।

(3) विदेश निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व।

(4) विदेश निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व।

(5) भारतीय निर्मित, विदेशी ध्वजांकित और विदेशी स्वामित्व।

(vii) आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों/ विभागों तथा सीपीएसई द्वारा जारी की गई वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को पांच वर्षों की अवधि के दौरान सब्सिडी के रूप में 1624 करोड़ रु. प्रदान करने के लिए एक योजना अनुमोदित की है। संबंधित सीपीएसई ने दिनांक 08.10.2024 तक 213.54 करोड़ रु. की सब्सिडी प्रदान की है।

(viii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) शुरू किया है जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जनों को कम करना तथा पर्यावरण अनुकूल संवहनीय टगबोट प्रचालनों को अपनाने को प्रोत्साहित करके पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना है।

(ix) सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों में हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलयानों हेतु हरित नौका दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(x) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने मैरीटाइम इंडिया विज़न, 2030 तथा मैरीटाइम अमृत काल विज़न, 2047 को शुरू किया है जिसने मौजूदा पोत निर्माण क्षमताओं में अंतर का आंकलन किया है।

पोत निर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए हितधारकों के साथ कई दौर में विचार- विमर्श किए गए और अपेक्षित हस्तक्षेपों की पहचान की गई है।

अनुबंध

सार्वजनिक क्षेत्र में भारत की मौजूदा पोत निर्माण क्षमता का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**शिपयार्डों का नाम**	**स्वामित्व**	**यार्ड की डेडवेट क्षमता**
1	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय	822600
2	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड		
3	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड		
4	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड		
5	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	247000
6	उडीपी कोचीन शिपयार्ड		
7	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		
8	शालीमार वर्क्स लिमिटेड	पश्चिम बंगाल सरकार	12000
9	केरल शिपिंग और अंतर्देशीय नेविगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केरल सरकार	800
	कुल		10,82,400

निजी क्षेत्र में भारत की मौजूदा पोत निर्माण क्षमता का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**शिपयार्ड का नाम**	**स्वामित्व**	**यार्ड की डेडवेट क्षमता**
1.	विजय मरीन सर्विसेज	निजी	12000
2.	मंडोवी ड्रायडॉक्स	निजी	12000
3.	एल एंड टी शिपबिल्डिंग लिमिटेड	निजी	26000
4.	शोफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	निजी	36000
5.	चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	निजी	7000
6.	टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड	निजी	6000
7.	डेम्पो शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	निजी	18000
8.	मरीन फ्रंटियर्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी	300
9.	नवगति मरीन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	निजी	7000
10.	कोंकण बार्ज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी	3000

11.	वाटरवेज शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	निजी	10000
12.	सिनर्जी शिपबिल्डर्स	निजी	10000
13.	सैन मरीन शिपयार्ड	निजी	8000
14.	ए एच वाडिया बोट बिल्डर्स	निजी	300
15.	एमओसी शिपयार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी	3000
16.	जुआरी शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	निजी	9000
17.	विक्टोरिया शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग एलएलपी	निजी	8000
18.	अत्रेया शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	निजी	6000
19.	नवल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी	1600
20.	ए सी रॉय शिपबिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी	3000
21.	चौगुले एसबीडी प्राइवेट लिमिटेड	निजी	32000
22.	सी ब्लू शिपयार्ड लिमिटेड	निजी	5000
23.	आईलैंड शिप रिपेयरर्स	निजी	5000
24.	ब्रिस्टल बोट्स प्राइवेट लिमिटेड	निजी	200
25.	वेस्ट कोस्ट शिपयार्ड लिमिटेड	निजी	5000
26.	एक्वेरियस शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	निजी	2000
27.	स्वान्स पिपावाव शिपयार्ड	निजी	900000
28.	प्रका इंजीनियरिंग शिपयार्ड	निजी	20000
29.	मोडेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	निजी	6000
30.	मास्टर शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	निजी	4000
31.	सूर्यादिप्त शिपयार्ड	निजी	6000
32.	एस्सफोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	निजी	3000
33.	सोलास मरीन	निजी	2100
34.	मैजेस्टिक डॉकयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	निजी	3000
	कुल		11,79,500

सार्वजनिक और निजी यार्डों की कुल डेडवेट क्षमता: 22,61,900

*****